

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर भोपाल-462023

क्र./अ.शि./बजट/2025-26/491

भोपाल, दिनांक 11/3/2026

वित्तीय आदेश

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अतिथि शिक्षकों के मानदेय भुगतान किये जाने हेतु मांगपत्र अनुसार निम्न जिले/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को निम्नानुसार राशि आवंटित की जाती है :-

SN	District	DDO	DDO Code	Segment	Amount
1	Morena	Porsa	2502003021	0101	506218
2	Burhanpur	Burhanpur	4802003012	0103	700000
3	Balaghat	Balaghat	0102003001	0103	56210
4	Betul	Multai	0302003011	0103	1843500

अतः संबंधित आहरण संवितरण अधिकारी के डी.डी.ओ. कोड में राशि रुपये 3105928/- (राशि रु. इकत्तीस लाख पांच हजार नौ सौ अट्ठाईस रु. मात्र) का आवंटन दिया जाता है।

आवंटन जारी करने हेतु स्वीकृति आदेश में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाए-

1. यह आवंटन अतिथि शिक्षकों के माह फरवरी 2026 तक के मानदेय हेतु जारी किया जा रहा है, जिसका भुगतान 31 मार्च 2026 तक आवश्यक रूप से किया जाए।
2. समस्त आहरण संवितरण अधिकारी भुगतान के पूर्व सुनिश्चित करें कि इन अतिथि शिक्षकों को पूर्व में भुगतान नहीं किया गया है एवं विद्यालयों में नियमानुसार आमंत्रित कर उनकी उपस्थिति का परीक्षण कर लिया गया है।
3. उक्त आहरण संचालनालय द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार किया जाए। यदि नियम विरुद्ध भुगतान किया जाता है तो आहरण संवितरण अधिकारी एवं लेखापाल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
4. आवंटित राशि से अतिथि शिक्षकों को उनकी कार्यरत अवधि का (ई-अटेंडेस के आधार पर) ही मानदेय भुगतान तत्काल किया जाए। यदि लंबित मानदेय की कोई सूचना संचालनालय को प्राप्त होती है तो संबंधित संकुल प्राचार्य एवं आहरण संवितरण अधिकारी का दायित्व निर्धारित किया जाएगा।
5. व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संचालनालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

डी.डी.ओ. में उपलब्ध राशि का उपयोग आवश्यक रूप से किया जाए एवं अव्ययित राशि का तत्काल बी.सी.ओ. में सर्पण किया जाए।

“आयुक्त द्वारा स्वीकृत”



(राजेश कुमार मौर्य)
संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल दिनांक 11/3/2026

पृ.क्रमांक./अ.शि./बजट/2025-26/492

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर।
2. संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण म.प्र.।
3. संबंधित कोषालय अधिकारी, ओर सूचनार्थ।
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र.।
5. संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी म.प्र. की ओर भेजकर लेख है, कि अतिथि शिक्षकों के मानदेय का भुगतान तत्काल नियमानुसार करना सुनिश्चित करें।


संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण म.प्र.